# कार्यालयः—जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मेरठ।

पत्रांक/अर्थ/ प्रशिक्षु शिक्षक चयन—2011/ 11861 /2015—16 दिनांक 30 दिसम्बर—2015

## विज्ञप्ति

शासनादेश संख्या 3116/79—5—14(10)/2010, शिक्षा अनुभाग—5, दिनांक 27.09.2011, शासनादेश संख्या 3465/79—5—2014—14(10)/2010,टी.सी. दिनांक 27.06.201, शासनादेश संख्या 3505/79—5—2014—14(10)/2010,टी.सी.,दिनांक 01.07.2014, शासनादेश संख्या 3599/79—5—2014(10)/2010,टी.सी. शिक्षा अनुभाग—5 लखनऊ दिनांक 11.07.2014 तथा मा0 सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली मे योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 1874—1902/2014 मे पारित आदेश दिनांक 25.03.2014 तथा विशेष अपील संख्या 237/2013 में पारित आदेश दिनांक 20.11.2013 विशेष अपील संख्या 4347—4375/2014 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 17.12.2014 एवं 25.02.2015 के अनुपालन में एवं निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुंसधान एवं प्रशिक्षण परिषद् उ0प्र0,लखनऊ में दिनांक 06.01.2015 एवं 07.01.2015 को हुई बैठक एंव 01.07.2015 को विडियो कान्फ्रेंसिग में दिये गये निर्देश के अनुपालन में पंचम चयन सूची के उपरान्त अवशेष अभ्यर्थियों में से जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, द्वारा तैयार कर उपलब्ध कराये गये, रिक्ट सीटो के सापेक्ष अवशेष अभ्यर्थियों में से 10 गुना अभ्यर्थियो जो की पूर्व में जनपद मेरठ में काउंसिलिग करा चुके है। उनको षंटम कटऑफ सूची के आधार पर मूल अभिलेख जमा करने हेतु नीचे अंकित तिथि में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान छोटा मवाना, मेरठ में प्रातः 10 बजे मूल शैक्षिक अभिलेख तथा शैक्षिक/प्रशिक्षण सम्बन्धी उपाधियाँ/अध्यापक पात्रता परीक्षा 2011 प्रमाण पत्र/सक्षम अधिकारी के स्तर से निर्गत निवास प्रमाण पत्र/जाति प्रमाण पत्र/विकलांग प्रमाण पत्र/भूतपूर्व सैनिक/स्वतंन्त्रता संग्राम सैनानी/आश्रित सम्बन्धी प्रमाण पत्र, पहचान पत्र तथा एक फोटोयुक्त नोटरी शपथपत्र (जिसमें अभ्यर्थी का नाम,पता,मो0न0 एवं समस्त अभिलेखो की सत्यता,कूटरचित,फर्जी अथवा किसी प्रकार का तथ्य गोपन पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के साथ साथ विधिक कार्यवाही की जाने की सहमति का उल्लेख हो) के साथ साथ समस्त अभिलेखो की दो स्वप्रमाणित छायाप्रति (एक फाईल में) के साथ स्वंय उपस्थित हो। यदि समस्त उपरोक्त अभिलेखो के साथ निर्धारित तिथि को अनिवार्य रूप से वांछित अभिलेख नही उपलब्ध कराये जाते है तो चयन पर विचार किया जाना सम्भव नही होगा तथा आप द्वारा दिये गये किसी भी प्रकार के प्रत्यावेदन पर विचार किया जाना सम्भ्व नही होगा। प्रशिक्षु शिक्षक चयन—2011 की षंटम औपबन्धिक सूची जनपद की वेबसाइट www.meerut.nic.in पर उपलब्ध है। षंटम कटऑफ का विवरण निम्नवत् है—

| वर्ग/श्रेणी | कटऑफ | जन्मतिथि | मूल अभिलेख जमा करने हेतु निर्धारित तिथि |
|---|---|---|---|
| पुरूष/ओ0बी0सी0/विज्ञान | 122 से 109 | 05—02—1986 | दिनांक—13.01.2016 को समस्त पुरूष, अभ्यर्थी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान छोटा मवाना, मेरठ। |

नोटः—1. उपरोक्त जारी षंटम औपबन्धिक सूची केवल मूल अभिलेख जमा कराने हेतु है इसमें नाम सम्मिलित होने से किसी अभ्यर्थी का चयन नही माना जायेगा। उपस्थित अभ्यर्थियों द्वारा मूल अभिलेख जमा कराने के पश्चात रिक्त सीटों को दृष्टिगत रखते हुए वरीयताक्रम में अनन्तिम चयन सूची पृथक से जारी की जायेगी।

2. यह अनन्तिम षंटम सूची माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों, प्रत्यावेदन एवं किसी लिपिकीय त्रुटि के संधान के अधीन होगी।

(मौ0 इकबाल)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मेरठ।

मेरठ पृ0स0/अर्थ/ 11861 /2015—16 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः— सम्पादक अमर उजाला/सम्पादक हिन्दूस्तान, मेरठ को इस आशय से प्रेषित की उक्त विज्ञप्ति को अपने सम्मानित समाचार पत्र में सरकारी दर पर प्रदेशीय संस्करण मे प्रकाशित करने का कष्ट करे, जिसकी एक प्रति (प्रकाशितोपरान्त) विज्ञप्ति का व्यय सम्बन्धी बिल का भुगतान दो प्रतियों मे अधोहस्ताक्षरी के कार्यलय मे उपलब्ध कराये जिससे आपके भुगतान की कार्यवाही की जा सके।

(मौ0 इकबाल)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मेरठ।